वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 264 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक-26.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह , क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के कुशल पर्यवेक्षण में प्र0नि0 कोतवाली के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 26.07.2025 को ***थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा चोरी की कुल 04 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्राज्जीय 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गये आभूषण (कीमत लगभग 10 लाख रूपयें), कलाई घड़ी व 31500/- रुपये नकद बरामद*** किया गया।

थाना कोतवाली

चोरी की कुल 04 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी गये आभूषण व नकदी (कीमत लगभग 10 लाख रूपयें) के साथ अन्तर्राज्जीय 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

➡दिनांक 12.07.2025 को वादी आलोक गुप्ता s/o स्व जे.एन. गुप्ता , निवासी HIG 174 कल्यानपुर कानपुर वर्तमान निवासी C/O श्री रामानन्द यादव कोलबाज बहादुर , पो भवरनाथ , आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 12/7/2025 को 2 A.M. से 5 A.M. के बीच हमारे निवास स्थान कोल बाजबहादुर से चोरी की घटना हो गई है जिसमे 1.One Plus 10T 5G Mobile Phone Jade green colour IMEI 1-863420062xxxxx IMEI 2-86342006xxxx 2.Redmi 42-Mobile Set without sim 3.Gold Necklace -2 नग 4.Diamond मंगलसूत्र -1 5. Diamond Tops-1 pair 6. Gold अंगूठी -2 नग 7.Gold Coin -1 8.Gold कड़ा -2 नग 9.Gold Bracelet -2 नग 10. चाँदी Biscuit -2 नग 11.चाँदी पायल -2 नग 12.चाँदी विछिया -2 13.Gold earring pair चोरी हुआ है। जिस सम्बन्ध में ***थाना कोतवाली पर दिनांक 12.7.25 को मु0अ0सं0 318/25 धारा 305 बीएनएस*** अंकित किया गया है।

➡दिनांक 18.07.2025 को वादी मुकदमा घनश्याम दास गुप्ता पुत्र श्री शिवदयाल गुप्ता पता - मु कालीचौरा, रैदोपुर, थाना कोतवाली, आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 18.07.2025 को अपराह्न 03.30 बजे जजेज कालोनी सिविल लाइन में स्थित शासकीय आवास सं. जे-06 में निवास करने वाली न्यायिक अधिकारी सुश्री अभिलाषा सैनी अपर सिविल जज (जूडी) न्यायालय सं. 29, आजमगढ़ तथा जे-10 में निवास करने वाले न्यायिक अधिकारी श्री तारिफ मुस्तफा खान न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, मेंहनगर, आजमगढ़ के आवास पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर दिया गया है, उक्त समय सुश्री अभिलाषा सैनी लखनऊ में प्रशिक्षण में थी, जिसके कारण उनके आवास पर ताला बन्द था तथा श्री तारिफ मुस्तफा खान ग्राम न्यायालय मेंहनगर में थे। जिसके कारण उनके आवास पर भी ताला बन्द था। श्री तारिफ मुस्तफा खान द्वारा आने पर देखकर बताया गया की चोरों द्वारा एक चांदी की अंगूठी तथा नकद 20,000/- (बीस हजार रूपये) व अन्य आवश्यक कागजात जिसमें क्रेडिट कार्ड व एटीएम आदि थे चोरी हुए हैं। इस सम्बन्ध में ***थाना कोतवाली पर दिनांक 18.7.25 को मु0अ0सं0 329/25 धारा 305 भादवि*** पंजीकृत किया गया।

➡शेष मुकदमों का अनावरण किया गया है, ***जिसमें थाना मेहनगर के 01, सिधारी के 01 मुकदमें शामिल*** हैं।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक 25.07.2025 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, उ0नि0 यश सिंह पटेल, उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा, हे0कां0 सर्वेश विक्रम यादव, कां0 बसन्तलाल, कां0 हीरालाल, कां0 अभय कुमार सिंह, कां0 संदीप यादव, कां0 नीरज कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अंकित वर्मा पुत्र रामकृपाल वर्मा निवासी ग्राम लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़, 2. विशाल चौहान पुत्र स्व0 रामसहाय चौहान निवासी ग्राम लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर आजमगढ़, 3. रोशन गुप्ता पुत्र भरतलाल गुप्ता निवासी लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ , 4. विजय सेठ उर्फ कोमल पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र सेठ निवासी कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर आजमगढ़, 5. पवन सेठ पुत्र कल्पनाथ सेठ निवासी कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को दि. 25.7.25 को समय 21.15 बजे ठन्डी सडक के ऊपर बंधारोड से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा कब्जे से चोरी का काफी माल बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡ आज दिनांक 26.07.2025 को बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 347/25 धारा 3 /25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़ बनाम विशाल चौहान पुत्र स्व0 रामसहाय चौहान नि0 ग्राम लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

अपराध का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

➡साहब हम पांच लोगों का एक गिरोह है। गिरोह के सभी सदस्यों का कार्य अलग अलग होता है। विशाल एवं अंकित शहर में घूम घूम कर ऐसे सूनसान घरों की तलाश करते थे जहां पर दूर से ही देखने में ताला लटका मिलता था और कोई आता जाता नहीं था उसके बाद हम दोनो मिलकर पेचकस की सहायता से ताले को तोड़कर घर के अन्दर रखे मूल्यवान वस्तु, गहने व नगद रूपए ही चोरी करते थे। जिसके बाद चोरी के रूपए हम पांचो सदस्यों 1.अंकित वर्मा पुत्र रामकृपाल वर्मा नि0 ग्राम लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 2.रोशन गुप्ता पुत्र भरतलाल गुप्ता निवासी लोदा ईमादपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ 3.विजय वर्मा उर्फ कोमल पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र सेठ निवासी कस्बा मेहनगर वार्ड नं0 3 थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 4.पवन सेठ पुत्र कल्पनाथ सेठ निवासी कस्बा मेहनगर वार्ड नं0 5 थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ में बांट दिया करते थे तथा चोरी का सामान जैसे सोना, चांदी, मोबाइल आदि को हमारे गिरोह के तीन अन्य सदस्य रोशन जिसकी हमारे गांव में ही गल्ले की दुकान है , विजय वर्मा उर्फ कोमल जिसकी रिया ज्वैलर्स के नाम की आभूषण की दुकान है तथा पवन सेठ जिसकी पवन ज्वैलर्स नाम की आभूषण की दुकान मेंहनगर कस्बा में स्थित है को सस्ते दामों में बेंच दिया करते थे। साहब इस प्रकार हम दोनो (विशाल व अंकित) ने मिलकर दिनांक 18.07.2025 को जजेज कालोनी के अन्दर दो घरों का ताला तोड़कर चोरी की थी। उन्ही का सामान व पूर्व में की गयी चोरी के शेष पैसों व सामान को लेकर आज अपने अन्य साथियों रोशन, पवन सेठ, विजय वर्मा उर्फ कोमल को बेचने व बंटवारा करने जा ही रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक- 25.07.2025, समय-21.15, स्थान- ठन्डी सड़क के ऊपर बन्धा रोड़ थाना कोतवाली आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 347/25 धारा 3 /25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

01.अभियुक्त विशाल चौहान पुत्र स्व0 रामसहाय चौहान नि0 ग्राम लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 0233 धारा 379 भादवि थाना अलीपुर दिल्ली
2.मु0अ0सं0 0287 धारा 380 भादवि थाना अलीपुर आउटर नार्थ दिल्ली
3.मु0अ0सं0 0494 धारा 380/411 भादवि थाना अलीपुर दिल्ली
4.मु0अ0सं0 324/25 धारा 25/4 आयुध अधिनियम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
5.मु0अ0सं0 329/25 धारा 305,317(2),318(4),336(3),340(2),3(5) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
6.मु0अ0सं0 318/25 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
7.मु0अ0सं0 208/25 दारा 331(4),305 बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
8.मु0अ0सं0 34/25 धारा 331(4),305 बीएनएस थाना मेहनगर आजमगढ़
09.मु0अ0सं0 347/25 धारा 3 /25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़

02.अभियुक्त अंकित वर्मा पुत्र रामकृपाल वर्मा निवासी ग्राम लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

1.मु0अ0सं0 329/25 धारा 305,317(2),318(4),336(3),340(2),3(5) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 318/25 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3.मु0अ0सं0 208/25 दारा 331(4),305 बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
4.मु0अ0सं0 34/25 धारा 331(4),305 बीएनएस थाना मेहनगर आजमगढ़

03.अभियुक्त रोशन गुप्ता, 04. अभियुक्त विजय सेठ उर्फ कोमल व 05.अभियुक्त पवन सेठ

1.मु0अ0सं0 329/25 धारा 305,317(2),318(4),336(3),340(2),3(5) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 318/25 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

3.मु0अ0सं0 208/25 दारा 331(4),305 बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अंकित वर्मा पुत्र रामकृपाल वर्मा निवासी ग्राम लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष
2. विशाल चौहान पुत्र स्व0 रामसहाय चौहान निवासी ग्राम लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष
3. रोशन गुप्ता पुत्र भरतलाल गुप्ता निवासी लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष
4. विजय सेठ उर्फ कोमल पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र सेठ निवासी कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष
5. पवन सेठ पुत्र कल्पनाथ सेठ निवासी कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष

बरामदगी:- (कीमत लगभग 10 लाख रूपयें)

1. 2 अदद घड़ी (फास्ट्रैक व रोलैक्स),
2. 01 अंगुठी सफेद धातू मोती जड़ी,
3. 03 जोड़ी पायल स्वेत धातु,
4. 03 जोड़ी बिछिया स्वेत धातू,
5. 01 अंगूठी लेडिज पीली धातु,
6. 01 चैन पीली धातु,
7. 01 बाली पीली धातु,
8. 02 अंगूठी पीली धातु,
9. 01 जोड़ी कान का झुमका पीली धातु,
10. एक अदद लोहे का पेंचकस,
11. नगद कुल 31500 रूपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली यादवेन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़
2. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज थाना कोतवाली आजमगढ़
3. उ0नि0 यश सिंह पटेल, थाना कोतवाली आजमगढ़
4. उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा, थाना कोतवाली आजमगढ़
5. हे0कां0 सर्वेश विक्रम यादव, थाना कोतवाली आजमगढ़
6. कां0 हीरालाल, थाना कोतवाली आजमगढ़
7. कां0 अभय कुमार सिंह, थाना कोतवाली आजमगढ़
8. कां0 संदीप यादव, थाना कोतवाली आजमगढ़
9. कां0 नीरज कुमार समस्त थाना कोतवाली आजमगढ़
10. कां0 बसन्तलाल, थाना कोतवाली आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस

अंकित